कार्यालय मुख्य वन संस्करण, सामाजिक वालिका, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
संख्या पी-84 /36-टी-77 (वन्य जीव प्रबंधन), लखनऊ: दिनांक:05 जुलाई, 2020

प्रधान मुख्य वन संस्करण;
वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में "संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों को प्रबंधन" योजनान्तर्गत आय-व्ययक्रम प्रविधानित धनराशि की स्वीकृति।

संदर्भ: शासकीय पत्र संख्या-31/2020-603/81-4-2020-500(30)/2014, दिनांक 29.07.2020
(छायाप्रति संलग्न)

माहौल,

कृपया उपयुक्त संदर्भित शासकीय पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा शासन ने वित्त (आय-व्यय) अन्तर्गत-1 के शासनदेश संख्या-1/2020-वी-1-149/दस-2020-23/2020, दिनांक 24-03-2020 एवं शासनदेश संख्या-6/2020-वी-1-218/दस-2020-23/2020, दिनांक 18-05-2020 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबंधों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान संख्या-60 के अन्तर्गत "संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबंधन" योजनान्तर्गत आय-व्ययक्रम प्रविधानित धनराशि ₹९ 95.00 लाख की स्वीकृति जारी कर दी है।

2- अतः आपकी पत्र संख्या-3648/7-4(संरक्षित क्षेत्र से बाहर), दिनांक 11.06.2020 द्वारा प्रमाण प्रतिपादक के अनुसार शासन द्वारा विषयगत योजना के अन्तर्गत उक्त प्रकार स्वीकृत धनराशि ₹९ 95.00 लाख को आपके लिवर्तें पर निम्न प्रकार रखा जाता है:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>लेखाशीर्षक</th>
<th>धनराशि (₹० लाख में)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>अनुदान संख्या-60-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>रजस्व सेल्का-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2406-वालिका तथा बाण जीव-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02-वालिका तथा बाण जीव-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>110-बन्य जीव परिष्करण-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15-संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवों का प्रबंधन (सी050एल0 प्रणाली)</td>
<td>5.00</td>
</tr>
<tr>
<td>16-व्यवसायित तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान</td>
<td>50.00</td>
</tr>
<tr>
<td>29-अनुरक्षण</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>योग=रजस्व सेल्का</td>
<td>55.00</td>
</tr>
<tr>
<td>पुजी सेल्का-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4406-वालिका तथा बाण जीव पर पुजीगत परिष्करण</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02-वालिका तथा बाण जीव-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>110-बन्य जीव-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>09- वालिका तथा बाण जीवों का प्रबंधन (सी050एल0 प्रणाली)</td>
<td>10.00</td>
</tr>
<tr>
<td>26-मार्गधर्म और साज/उपकरण और साप्त</td>
<td>30.00</td>
</tr>
<tr>
<td>42-बन्य व्यय पुजी सेल्का</td>
<td>40.00</td>
</tr>
<tr>
<td>योग पुजी सेल्का</td>
<td>95.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3- कृपया शासन द्वारा विषयगत योजना के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि ₹९ 95.00 लाख का प्रभावार्थ आवंटन एवं आवंटित धनराशि से कार्य करने वाले कर्मचारी के भीतर एवं वित्तीय लक्ष्य प्रवाह मुख्य वन संस्करण और विभागाधिकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अनुमोदन के उपरांत ही अपने स्तर से जारी करने की कृपा करें।
4. उक्त धनराशियों का आवंटन स्वाभं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतः जिस व्यय के संबंध में विद्युध हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के स्वरूप मामले के अनुसार हासिल व्यय के अथवा अन्य स्वरूप अधिकारी की पुर्णता निषिद्ध किया जाना अप्रतिम हो, उसे व्यय करने से पूर्व अतिरिक्त: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परिवर्त एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करने समय सिद्धांतिका के संबंध में विनोत विभाग द्वारा जारी शासनदेश संख्या-सी05-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07-01-2005 तथा शासनदेश संख्या-सी05-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26-10-2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्य वित्तीय नियमों के अनुसार यदि लागू हों, तो व्यय विनोत समिति करार अनुमोदित अवसर के अनुसार कराये जायेंगे तथा समस्त वैधानिक अनुमोदित संबंधित वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने के प्रारम्भ ही निर्देश दिया जाय। कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि हुई/यादि वित्तीय नियमों के अनुसार ही किया जायगा। इसके अतिरिक्त समिति करार अनुमोदित कार्यों की कार्यधारा संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति अनुमोदित करने के पूर्व वित्तीय डिपावली साइट पर समय स्वायत्त्व व अन्य सामान्य कार्यों के पुनः अनुमोदन किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्राप्त किया जाना अनिवार्य स्वायत्त्व व अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

6. समस्त विधिक पहलुओं पर आश्वस्त होते हुए समस्त वैधानिक स्वीकृतियों संस्था प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा अन्य संबंधित विभागों से यथावत्क अनुमोदित/सहमति नियमानुसार प्राप्त करने के प्रारम्भ ही गृहारोग अनुमोदन कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

7. मानकों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अध्यक्षा होगा। कुपोष्ठ की सुनिश्चित करें कि उक्त कार्य से कार्यों जाले वाले कार्यों की विशेषता तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनःवृद्धि/विस्तार-वृद्धि न हो।

8. व्यय के निर्धारण पालकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय सारणी निर्धारित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्राप्ती का प्रावधान अनुसरण किया जाय।

9. स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तब होगा, जब निर्माण कार्य की भारतीय प्राप्ति तथा अपयोगिता गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी, विभागाधिकारी अथवा कार्यालयाधिकारी द्वारा सत्यापित कर दिया गया हो तथा इसका गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वरूप स्तर का उपलब्ध करा दिया गया हो।

10. इसके अतिरिक्त समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित सभी सुनिश्चित शासनदेशों/वित्तीय नियमों व निर्देशों का अर्थात्: अनुपालन अनिवार्य: सुनिश्चित किया जायेगा।

11. योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं वित्तीय/भारतीय प्राप्ति रिपोर्ट शासन को यथासमय उपलब्ध किया जायेगा तथा विदेश वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराने के प्रारम्भ ही स्वीकृत धनराशि का उपयोग किया जाय।

12. योजनान्तर्गत कार्यों हेतु ई-टेक्नोलोजी विषयक समय-समय पर निर्गत शासनदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
13- कियामन योजनान्तर्गत हुई कार्य की प्रगति, चित्र सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए इसे एक अतिरिक्त विन्दू के रूप में भी विभागीय वेबसाइट पर इंगित किया जाय।

14- प्रत्येक माह की समाप्ति पर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक सूचना अगले माह की 02 तारीख तक इस कार्यालय को अवश्य उपलब्ध करायी जाय। व्यय की मासिक प्रगति सूचना प्रधान बी0एम0-13 में भी प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय में उपलब्ध करायी।

15- उक्त आवंटन प्रधान मुख्य वन संस्थापक और विभागीय वाङ्, U0प्र0, लखनऊ की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

संलकनक:-यथोपरि

भवदीय

31/7/12

(दौ प्रभाकर दुबे)

अपर प्रधान मुख्य वन संस्थापक
योजना एवं कृषि वालिकी
U0प्र0, लखनऊ।

संख्या पी- 64- (1)/36-टी-77(वन्य जीव प्रवंधन), दिनांकित।

प्रतिलिपि वित्त नियंत्रण, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संस्थापक और विभागीय वाङ्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपयुक्त संदिग्ध पत्र की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेरित कि उत्तर स्वीकृत घंटराशि स० 95.00 लाख का प्रभावगार बजट आवंटन प्रधान मुख्य वन संस्थापक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर से किये जाने के उपरांत लेखनसार ही सम्बन्धित कार्यागारों को बजट आवंटन की सूचना देने की कृपा करें।

संलकनक:-यथोपरि

31/11/13

(दौ प्रभाकर दुबे)

अपर प्रधान मुख्य वन संस्थापक
योजना एवं कृषि वालिकी
U0प्र0, लखनऊ।

संख्या पी- 64- (1)/36-टी-77(वन्य जीव प्रवंधन), दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपयुक्त संदिग्ध पत्र की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरित:-

1. प्रधान मंहालेखकार, (लेखा परिक्षा) प्रधान, उत्तर प्रदेश, प्राध्यात्मक।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संस्थापक, आई0टो0, U0प्र0, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. अभिदर्चना, तेल, कार्यालय मुख्य वन संस्थापक, सामाजिक वालिकी, U0प्र0, लखनऊ।

संलकनक:-यथोपरि

31/11/13

(दौ प्रभाकर दुबे)

अपर प्रधान मुख्य वन संस्थापक
योजना एवं कृषि वालिकी
U0प्र0, लखनऊ।
संख्या पी- 84- (III)/36-डी-77(उत्तर जीव प्रबंधन), दिल्ली।
प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ को उपयुक्त संदेशित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ प्रभाकर द्वारे)
अपर प्रधान मुख्य वन संस्कृत क्षेत्र एवं कृषि वाणिकी
उद्योग, लखनऊ।
प्रेमक,

अशीष तिवारी,
बिज्ञ संविड़, 
उत्तर प्रदेश शासन।

लेखा में,

प्रमाण मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुसंधान-4

विषय:- विकास वर्ष 2020-21 में "संरक्षित क्षेत्र के बाहर जनजीवन का प्रबन्ध" गौरवमानन्तर्गत आय-व्यय प्राधिकृत धनार्थियों के सापेक्ष विलीन स्वीकृति।

महत्त्व,

उपयुक्त विषयक अनुरुप प्रमाण मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वाणिज्य, ऑफिस के पत्र संख्या-दी-1050/36-87/77लेखा-77 (संरक्षित क्षेत्र) दिनांक 19 जुलाई, 2020 तथा संलग्न प्रमाण मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव के पत्र संख्या-3848/7-4लेखा-4 (संरक्षित क्षेत्र के बाहर) दिनांक 11.06.2020 दुसरा प्रान्त प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का मतलब हुआ है कि वित्त (आय-व्यय) अनुसंधान-1 के शासनाधीन संख्या-1/2020/शी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 जून, 2020 एवं वित्त (आय-व्यय) अनुसंधान-1 के शासनाधीन संख्या-6/2020/शी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18 मई, 2020 में निर्देश दिये गये वित्तीय तथा प्रतियोगिता के अनुरुप विकास वर्ष 2020-21 के लिए अनुपम संख्या-60 के अनुसार "संरक्षित क्षेत्र के बाहर जनजीवन का प्रबन्ध" गौरवमानन्तर्गत आय-व्यय प्राधिकृत धनार्थियों के सापेक्ष कुल 95.00 लाख (ठीक 95 लाख रुपये) की धनपदि मिल्या जिसमें सहित लेखा शीर्ष के अनुपम नवम्बर संबंध में आगे आये वित्त की राष्ट्रीय सही स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(60 लाख में)

<table>
<thead>
<tr>
<th>लेखा शीर्ष</th>
<th>स्वीकृत धनपदि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>अनुपम संख्या-60-</td>
<td>गौरव- राज्य लेखा</td>
</tr>
<tr>
<td>4496-लेखाकार संविधान संविधान संविधान और वन्यजीव-</td>
<td>55.00</td>
</tr>
<tr>
<td>02-पर्यावरण अधिकार और वनमंत्री-</td>
<td>50.00</td>
</tr>
<tr>
<td>11-वन्यजीव परिस्थिति</td>
<td>5.00</td>
</tr>
<tr>
<td>15-संरक्षित क्षेत्र के बाहर जनजीवन का प्रबन्ध (शीलिका प्रशिक्षण)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16-विकासाध्य संविधान संविधान के लिए अनुपम संख्या-60</td>
<td>15.00</td>
</tr>
<tr>
<td>29-अनुपम</td>
<td>योग- राज्य लेखा</td>
</tr>
<tr>
<td>एच० लेखा</td>
<td>55.00</td>
</tr>
<tr>
<td>4496-लेखाकार संविधान संविधान संविधान और वन्यजीव-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>02-पर्यावरण अधिकार और वन्यजीव-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10-लेखाकार-</td>
<td>30.00</td>
</tr>
<tr>
<td>15-संरक्षित क्षेत्र के बाहर जनजीवन का प्रबन्ध (शीलिका प्रशिक्षण)</td>
<td>10.00</td>
</tr>
<tr>
<td>29-अनुपम</td>
<td>योग- पुंजी लेखा</td>
</tr>
<tr>
<td>42-आय-व्यय</td>
<td>40.00</td>
</tr>
<tr>
<td>कुल योग-</td>
<td>95.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(तीन लाख में)
1. उच्च धर्माधिकारियों का आरोपण स्थायी में व्यवहार का अधिकार नहीं देता, अतः जिस धर्म के संबंध में वित्तीय हथेलीसिका के अन्तर्गत नियन्त्रित मानकों में अथवा उच्चारण दर्शन के दर्शनवादी आदेशों के अनुसार उच्चारण के अनुसार उच्चारण को अंतर्गत धर्माधिकारी विविधता सहसंगति लिखा जाना अपरिवर्तित हो, उसे व्यवहार करने में वृत्तियां भी राज्य के वृत्तियां का अनुमोदन कारण नहीं किया जायगा। वर्तमान नियम का धर्म स्टोर रखनेवाले वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय। उच्चारण नियम के धर्म स्टोर का अनुमोदन कारण 

2. विनियम योजना के संबंध में व्यवहार नियंत्रण के दिशा-निर्देशों का अनुमोदन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायगा। माननीय संस्थानों में व्यवस्थापन के पूर्व वित्तीय नियंत्रण व अन्य विभाग की सहमति अपरिवर्तित हो तो स्पष्ट सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृत धर्माधिकार के व्यवहार किया जाय।

3. योजनान्तर्गत सुनिश्चित करें कि मानकों की निर्देशन के संबंध में सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाधिकारकों की संस्था का होगा और योजनान्तर्गत प्रतिपादित आत्मिक लक्षद्वीप को कम नहीं किया जाएगा अथवा विनियमी लक्षद्वीप बढ़ाए नहीं जाएगा।

4. योजना के व्यवहार अनुमोदित परियोजना से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्कालीन निर्देशों तथा संगठन-समय पर निर्देश अद्यावधि का प्रयोग स्टार पर अनुमोदन सुनिश्चित किया जाया।

5. व्यवस्था के निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सरगमी निर्धारित कर हो जाय तथा प्रत्येक माह की समय-स्थान पर व्यवस्था की प्राचीन का प्रयोग अनुमोदित किया जाया।

6. उच्चाृत्व धर्माधिकार को तब से योजनाओं के क्रयावस्थापन हेतु साक्षर-सीमा अपन्यात किये जाने की समय-स्थान और प्रभावित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तब स्थित योजनायों से उभरते हैं।

7. इसके अतिरिक्त योजना के क्रयावस्थापन के समय शासन दूर निरन्तर तथा सुसंगत वित्तीय नियंत्रण का अनुमोदन तथा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. विज्ञापन नियमक विश्लेषण के संबंध में स्वीकृत समय-स्थान धर्माधिकार का विषयानुसार व्यवस्था करके अथवाहितमा योजनात्तिक अनुमोदित प्राधान-पर प्रयोग करने के उपरान्त ही स्वीकृत धर्माधिकार का व्यवहार किया जाय।

9. रचनाशील योजनान्तर्गत किताब र विशेषता उपयोगितायुक्त का व्यवस्था करके अथवाहितमा योजनात्तिक प्राधान-पर उपन्यास कार्य करने के उपरान्त ही स्वीकृत धर्माधिकार का व्यवहार किया जाय।

10. स्वीकृत धर्माधिकार का अयो अर्थ प्राप्त मुद्रा वर्ष संख्या, योजना एवं कृति वाणिज्य, उपयोग के पत्र संख्या-1050/36-

11. स्वीकृत धर्माधिकार के व्यवहार का अधिकार तभी होगा जब निर्देशन आदेश की आत्मिक प्राप्ति से अपरिवर्तित भुगतान, विभागाधिकारी निर्दिष्टिन आदेश, विभागाधिकार अथवा कार्यालयाधिकार दूर तथा सवाल और सवालों के प्रश्न दस्तावेज कर दिये गये हो।

12. जनरलात्तिक कार्य हेतु ई-टेक्निकिंग विषय-समय-समय पर निर्णय शासनाधीनों का अनुमोदन सुनिश्चित किया जायेगा तथा क्रय संबंधी समस्या कार्य विभागाधिकार ज़ी.ई.पम., फोर्टल के साथ साथ दे ही किया जाय।
13-विल क्षण एवं नियोजन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्माण समस्त सुसंगत संस्करण देखे जिसे विल क्षण के लिए तैयार किया जायेगा।

14-प्रसाधन मूल्य का संरक्षण फ़ामिली विभाग द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आह्वान कर तक को बंद कर सामर्थ्य के लिए नहीं रखा जायेगा। अवस्थित धनराशि का आह्वान एवं व्यवस्थापन पर नियम मान्यता किया जायेगा।

15-यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रशासन कार्य के लिए अन्य कार्यों जो चाहिए समर्पित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजनाबद्ध से धनराशि स्थीरता नहीं की गयी है। प्रशासन सिद्धांत रूपसी दिनांकित जिन कार्यवाद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यवाद हेतु किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तावित कार्यों की दिनांकित नहीं हो रही है।

16-प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व विद्युत आयातन तैयार कर सामने अधिकारी के अनुसूचन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय इस्तमनितण संग-6 के अनुसार-12 के प्रस्ताव-318 में वर्तित व्यवस्थापन प्रश्नोत्तर पर साहित्य स्तर से स्थानीय स्वीकृति प्राप्त करने के परामर्श ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

17-कार्य की विविधता, मालक व भूमिका की ज्ञानदारी प्रशासन मूल्य व संरक्षण व विभागाधिकारी की होगी तथा यह यह सुनिश्चित करने कि कार्य निर्माण सम्बन्ध में ही पूर्ण हो जाय तथा प्रायोगिका का सहायता स्तर से स्थानीय स्वीकृति प्राप्त होने के परामर्श ही कार्य करना जायेगा।

18-परियोजना की लागत में टाइम इंडेक्स अंक/संक्रान्त अंक प्रकरण न हो। आतः इस संस्करण में शासन द्वारा निर्माण विशेष निर्देश एवं बजट मौजूद के प्रस्ताव-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कार्य न ही अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19- यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की गुणवत्ता उच्चकोटी की हो तथा समय-संगठन पर समन्वित करने जा रहे कार्यों की मान्यता भी किया जायेगा।

20-स्वीकृति, धनराशि का व्यवस्थापन इस्तीफा के सुरूत्साह प्रविधियाँ, समय-संगठन पर शासन द्वारा निर्माण विभाग पर विभाग के अनुरूप किया जायेगा।

21-अवस्थित धनराशि का आह्वान एवं व्यवस्थापन अनुसार नियमानुसार किया जायेगा। आह्वान धनराशि के साथय उपयोगिता व्यवस्थापन नियम न हो जायेगा।

22- उक्त के अनुसार शासन द्वारा समय-संगठन पर निर्माण समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों/निर्देशों तथा आयुक्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

23-विषय योजनाबद्ध सुरू करने की प्रारंभिक, फिट (photo) सहित विभागीय डेब-साइट पर अपलोड करने हेतु इसे एक अनिवार्य एक्स्टेंड (Additional point) के रूप में भी विभागीय डेब-साइट पर इम्प्लेट किया जाय।

24- विल (आय-व्यवस्था) अनुसार-1 के शासनाधीन संचय-1/2020/वी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मई, 2020 एवं विल (आय-व्यवस्था) अनुसार-1 के शासनाधीन संचय-6/2020/वी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18 मई 2020 में निर्दिष्ट दिन-निर्देशों का पूरा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

25- यह अदेश विल विभाग के अस्थायी पद संचय-7-694/दस-2020 दिनांक 22 मई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्माण किये जा रहे हैं।

ध्यान के लिए,

(आसियाल तिराण)

विशेष समिति
प्रतिस्पर्धिनी निवन्तलिखित को मूल्यांक्ष एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. प्रधान महालेखकार (लेखा एवं हकदारी), प्रधान, रिवीशन, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखकार दिग्गज 3090 केन्द्रीय भवन, आगमन, लखनऊ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, 309, लखनऊ।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वालिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मिल्स (विभाग-वेतन) अनुभव-7
6. मिल्स (विभाग-वेतन) अनुभव-1/2
7. मिल्स (विभाग-वेतन) अनुभव-7
8. अनुमोदनीय आदेश पृष्ठिका।

आजा से,

(डा) दीपक कौलनी
संयुक्त सचिव